फर्द अहकाम

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

नेनू देवी बनाम भूराराम इत्यादि किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट. नं. 238 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यदि वह अपने उद्धेष्य में सफल हो जाता है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है तथा मुकदमेबाजी बढने की संभावना है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं आलौच्य आदेश दिनांक 28.08.2024 की पालना एवं प्रभावों को स्थगित फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.10.2024 नियत किया जाना प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना ही सीधे ही अपील प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। लिहाजा बहन पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात रेस्पोडेंट्स को सुने बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किये बिना इस स्तर पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रेस्पोडेंट्स के सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली आईंदा दिनांक 08.11.2024 को पेश हो।	
15/10/24	पत्रावली अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी एवं अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सीपीसी पर प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश आगामी पेशी दि. 16/10/24 तक ही प्रभाव में है। इस कारण अपीलांट अपील आगे चलाना नहीं चाहता है तथा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर निस्तारण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील बजरिये विड्रोल खारिज फरमायी जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट का कथन है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ का निस्तारण करवाना चाहते हैं तथा इस हेतु हस्तगत अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट जरिये विड्रा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली कैमल कुमार रीडर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

अपीलांट व रेस्पोंडेन्टस की संयुक्त खातेदारी हकक की कब्जा सुद भूमि है